

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा वा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/7/24	अधीन पक्ष उपस्थित/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 18/7/24 को पेश हो। (रीडर)
	25/8/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षीय वकील द्वारा पत्रावली अर्जित रिपोर्ट दि. 25/8/24 को पेश की। दि. 25/8/24 को पेश हो। सहायक <b>...</b> शाहपुर (जिला-जयपुर) राज।
	7/8/24	अधीन पक्ष उपस्थित/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 7/8/24 को पेश हो। (रीडर)
	21/8/24	अधीन पक्ष उपस्थित/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/8/24 को पेश हो। (रीडर)
	28/8/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षीय वकील उपरोक्त अर्जित रिपोर्ट दि. 28/8/24 को पक्षीय वकील द्वारा अर्जित रिपोर्ट दि. 28/8/24 को पेश की। अर्जित रिपोर्ट दि. 28/8/24 को पेश हो। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 28/8/24 को पेश हो। (रीडर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस  
वाद संख्या :- 97/2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गौदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 78 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

-वादी

बनाम

1. भैरू पुत्र भूरा  
2. लक्ष्मण पुत्र भूरा, समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।  
3. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर  
(राज.) - प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 168 के खसरा नम्बर 5071 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5124 रकबा 0.2500 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5125 रकबा 0.2300 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5133 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5159/8667 रकबा 0.4800 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5171 रकबा 0.4700 बारानी प्रथम, कुल किता 6 कुल रकबा 2.0000 हैक्टेयर सम्पूर्ण में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 भैरू का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण का हिस्सा 1/4, के अनुसार रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 मौके पर मनबंट एवं आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित भूमि हिस्सा 1/2 को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार साधू, प्रभू पुत्रान शंकर जाति गुर्जर से उनके सम्पूर्ण 1/2 को दिनांक 07.01.2013 को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर कय किया गया था जिसके आधार पर जरिये नामान्तकरण 549 दिनांक 09.09.2020 द्वारा राजस्व रेकोर्ड में अंकन किया गया तथा जिस पर अपने हिस्से अनुसार कय करने के उक्त दिनांक से वादी काबिज होकर आज तक निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मनबंट के आधार

पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के तालूकात कुछ असामाजिक तत्वों व भू-माफिया किस्म के लोगो से हैं तथा वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित उक्त भूमि के अविभाजित हिस्सा 1/2 पर मनबंट के आधार पर काबिज काश्त हैं, व निरन्तर काबिज होकर काश्त वाडी का करता आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादीगण ते वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर बैचान करने पर आमादा है। जबकि आज तक भूमि का विधिक, विभाजन नहीं हुआ हैं। जिन्हें कानूनन बिना तकासमा कराये भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने व बैचान करने का वैधानिक अधिकार नहीं हैं, तथा कानूनन अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हर एक इंच पर हक व हिस्सा व अधिकार माना जाता है, लेकिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे कश्त की भूमि से ताकत व संख्या बल के जौर पर उनके कब्जे से बेदखल कर भूमि को हडपना चाहते है तथा वादी की भूमि को ओने पोने दामो मे खरीदना चाहते हैं। जिसका उन्हें भूमि के विधिक विभाजन के बिना कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि दिनांक 29/07/2023 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर फसल को देखने गया तब प्रतिवादी संख्या 1 भेरु के साथ कुछ अजनबी लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये और मुझे मेरे हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये बैचान करने की धमकी दी व आयंदा इस पर काश्त करने से मना कर दिया जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो उक्त भूमि को भू-माफियाओं को बैचान करेगें व खुर्द बुर्द कर तुम्हे बेदखल करके रहेगें, तथा तू तो अकेला है और हमारे कई अधिकारियों व भू-माफियाओं से तालूकत है तथा प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर सहकश्तकारान् की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर मनचाहे तरीके से कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने बैचान व बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी को बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में जबरन बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा अब वादी को संयुक्त खाते के रूप में काश्त करना असंभव हो गया है। इसलिए वादी को अपने हिस्से व कब्जे की सुरक्षा हेतु यह दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि मद संख्या 1 में वर्णित ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 168 के खसरा नम्बर 5071 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5124 रकबा 0.2500 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5125 रकबा 0.2300 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5133 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5159/8667 रकबा 0.4800 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5171 रकबा 0.4700 बारानी प्रथम, कुल किता 6 कुल रकबा 2.0000

आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे एवं बाद विभाजन प्रतिवादीगण को जरिये रशाई निषेधाज्ञा से प्रतिबधित किया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त व उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे न ही बैचान हस्तान्तरण करे, कच्चा पक्का निर्माण नही करे, बाधा न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण में दिनांक 27.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/3845 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा/कुर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

#### आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 168 के खसरा नम्बर 5071 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5124 रकबा 0.2500 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5125 रकबा 0.2300 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5133 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5159/8667 रकबा 0.4800 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5171 रकबा 0.4700 बारानी प्रथम, कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.0000 हैक्टेयर ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. भैरु पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति गुर्जर राहिन हि0 1/2 (पूर्ण खाता) एच.डी.एफ.सी.


कृ. नि. शाखा मनोहरपुर सा0 देह खातेदार, लक्ष्मण पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति गुर्जर

रकबा 0.2300 है०, 5171 रकबा 0.4700 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.0000 है० भूमि रहेगी।

2 भागीस्थ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया हि० पूर्ण जाति जाट निवासी ए 51 हनुमान नगर खातीपुरा महानगर जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5124 रकबा 0.2500 है०, 5133 रकबा 0.2700 है०, 5159/8667 रकबा 0.4800 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.0000 है० भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(अशोक कुमार) डक्टर  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस  
वाद संख्या :- 97 / 2023

शीर्षक

1. भागीस्थ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

-वादी

बनाम

1. भैरू पुत्र भूरा
  2. लक्ष्मण पुत्र भूरा, समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
  3. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
- प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/24

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 168 के खसरा नम्बर 5071 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5124 रकबा 0.2500 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5125 रकबा 0.2300 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5133 रकबा 0.2700 बारानी प्रथम, खसरा

संख्या 5159/8667 रकबा 0.4800 बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5171 रकबा 0.4700 बारानी प्रथम, कुल किता 6 कुल रकबा 2.0000 हैक्टेयर ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाल भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदार के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. भैरू पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति गुर्जर राहिन हि0 1/2 (पूर्ण खाता) एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा मनोहरपुर सा0 देह खातेदार, लक्ष्मण पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5071 रकबा 0.3000 है0, 5125 रकबा 0.2300 है0, 5171 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0000 है0 भूमि रहेगी।

2. भागीस्थ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया हि0 पूर्ण जाति जाट निवासी ए 51 हनुमान नगर, खातीपुरा महानगर जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5124

रकबा 0.2500 है0, 5133 रकबा 0.2700 है0, 5159/8667 रकबा 0.4800 है0 कुल  
किता 3 कुल रकबा 1.0000 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का  
जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को  
लिखा जावे। वादीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है  
कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं  
करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय  
मुद्रा द्वारा जारी की गई।



*30/8/24*  
सहायक न्यायालय  
शहापुरा जयपुर, ग्रामीण

	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प ..... रुपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
गोड		जोड़	